खबरदार!

बाल दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) संज्ञेय अपराध है

इससे सम्बंधित अपराधों के मामले में त्वरित कार्यवाही के लिए

1800 102 7222 पर संपर्क करें

"बाल शोषण मानवता पर कलंक है"

- कैलाश सत्यार्थी

1

यदि आपके पास कोई परिचित/अपरिचित/ दोस्त या रिश्तेदार आता है और आपके बच्चे को किसी महानगर/शहर ले जा कर पढ़ाई या काम सिखाने का लालच देता है या फिर पढ़ाई या काम सिखाने के बहाने आपको कुछ एडवांस देता है तो यह कानूनी अपराधी है।

2

ऐसा आदमी एक दलाल या मानव दुर्व्यापारी है

3

इसकी शिकायत तुरंत पुलिस में करें

4

- बच्चों का दुर्व्यापार एक कानूनी अपराध है। अपराधी को आई पी. सी. की धारा 370 के तहत 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है।
- एक से अधिक व्यक्तियों के दुर्व्यापार के लिए अपराधी को आई पी. सी. की धारा 370 के तहत 10 वर्ष से लेकर आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है।
- नाबालिग का दुर्व्यापार करने वाले के लिए अपराधी को आई पी. सी. की धारा 370 के तहत 10 वर्ष से लेकर आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है।
- एक से अधिक बार नाबालिग के दुर्व्यापार करने वाले दोषी सिद्ध अपराधी को आई पी. सी. की धारा 370 के तहत आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास का अर्थ है, उस व्यक्ति को अपने जीवन का शेष भाग कारावास में बिताना होगा।

बाल दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) संज्ञेय अपराध है

आइये, हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटायें, सब बच्चों के अधिकार दिलायें

बाल दुर्व्यापार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप पुलिस को 100 नंबर पर या
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर अथवा बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800-102-7222 एवं
www.pencil.gov.in पर सूचना दे सकते हैं।

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION